सिक्किम विश्वविद्यालय
(स्थापित २००७)

सिक्किम विश्वविद्यालय

वित्त समिति की आई सी एस आर भवन, नई दिल्ली में दिनांक 08.11.2014 को आयोजित 12वीं बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यगण :

1.	**प्रो.टी.बी सुब्बा, उपकुलपति**	**अध्य**
2.	**श्री योगेन्द्र त्रिपाठी (विजिटर द्वारा नामित)**	**सदस्य**
3.	**श्री सुखबीर सिंह संधु (विजिटर द्वारा नामित)**	**सदस्य**
4.	**डॉ0 के पी सिंह (विजिटर द्वारा नामित)**	
5.	**श्री सोनम वांग्डी (ई सी द्वारा नामित)**	**सदस्य**
6.	**श्री एम जी किरण (ई सी द्वारा नामित)**	**सदस्य**
7.	**श्री टी के कौल, रजिस्ट्रार**	**विशेष आमंत्रित**
8.	**श्री डी कानुनजु, सलाहकार (वित्त)**	**सचिव**

श्री फैजल महमूद, उप सचिव (वित्त) एम एच आर डी ने श्री योगेन्द्र त्रिपाठी (विजिटर द्वारा नामित) सदस्य का प्रतिनिधित्व किया ।
श्री सूरत सिंह उप सचिव (सी यू एवं एल), एम एच आर डी ने श्री सुखबीर सिंह संधु (विजिटर द्वारा नामित) सदस्य का प्रतिनिधित्व किया ।

श्री सी तालुकदार, उपरजिस्ट्रार (वित्त) ने समिति की सहायता की ।

बैठक का कोरम पूरा होने के बाद अध्यक्ष द्वारा बैठक को व्यवस्थित घोषित किया गया । समिती ने श्री ए के सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव (सी यू एवं एल), एम एच आर डी एवं डॉ0 श्रीमति रेणु बत्रा, संयुक्त सचिव, यू जी सी को इस समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के प्रति उनके बहुमूल्य अवदानों के लिए अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया । समिति ने श्री सुखबीर सिंह संधु संयुक्तसचिव (सी यू एवं एल) एवं डॉ0 के पी सिंह, संयुक्त सचिव (सी यू), यू जी सी का विजिटर) द्वारा समिति के प्रति विशिष्ट सदस्यों के रूप में नामित किए जाने का स्वागत भी किया ।

तत्पश्चात समिति में कार्यसूची पर एक-एक मद के साथ विचार-विमर्श आरंभ किया गया।

एफ सी: 12:01	वित्त समिति की दिनांक 07.12.2013 को आयोजित 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यसूची

दिनांक 07.12.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को समिति द्वारा पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

यह रिपोर्ट की गई दिनांक 07.12.2013 को आयोजित 11वीं बैठक के कार्यवृत्त का परिचालन सदस्यों के बीच दिनांक 16.12.2013 को किया गया था । इस पर किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण समिति द्वारा इसकी पुष्टि कर ली गई ।

एफ सी: 12:02	वित्त समिति की दिनांक 07.12.2013 को आयोजित 11वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यसूची

दिनांक 07.12.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट समिति के समक्ष इनके विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी ।

कार्यवृत्त

पूर्ववर्त्ती बैठक में लिए गए निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का पैरा-वार विवरण प्रस्तुत किया गया । समिति ने इसे नोट किया ।

एफ सी: 12:03	सिक्किम विश्वविद्यालय में संकटापन्न भाषाओं के लिए यू जी सी केंद्र

कार्यसूची

यू जी सी ने अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के तहत संकटापन्न भाषाओं (सी ई एल) हेतु केंद्र की स्थापना के लिए अपने अनुमोदन की सूचना दी थी । तीन विश्वविद्यालयों, यथा-तेजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगरएवं सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक को एक क्लस्टर प्रारूप में तेजपुर विश्वविद्यालय के कलस्टर प्रमुख के तौर पर प्रदेश की संकटापन्न भाषाओं के विकास के प्रति कार्य करना है । सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम एवं उत्तर बंगाल की भाषाओं के लिए कार्य करेगा तथा इसके लिए सी ई एल की प्रथम तीन वर्षों की गतिविधि हेतु रू0 1.80 करोड़ आवंटित किया गया है ।
विश्वविद्यालय का शैक्षाणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद ने संकटापन्न भाषाओं के लिए केंद्र की स्थापना का अनुमोदन किया है तथा डा0 समीर सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, नेपाली विभाग को इसके समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है ।

कार्यवृत्त

समिति ने केंद्र की स्थापना को नोट किया गया ।

एफ सी: 12:04	एम ए के ए आई ए एस के साथ सहभागिता में मौलाना आजाद केंद्र

कार्यसूची

विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता (एम ए के ए आई ए एस) के साथ दिनांक 17.12.2013 को पांच वर्षों की आरंभिक अवधि हेतु शैक्षाणिक एवं अनुसंधान सहकारिता के लिए मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग अनुबंध किया है जिसकी अवधि पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है । एम ओ यू के अंतर्गत सिक्किम विश्विवद्यालय में पूर्वोत्तर भारत पर अनुसंधान हेतु एक मौलाना आजाद केंद्र की स्थापना उपबंधित है । केंद्र का उद्देश्य स्नातकोत्तर, एम फिल एवं पी एच डी छात्रों साथ ही अन्य वरिष्ठ अनुसंधानकर्ताओं के प्रति अनुसंधान अवसर उपलबध एवं प्रोत्साहित करना, पूर्वोत्तर एवं इसके पड़ोसी क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रभावकारिता में सेमिनार, सम्मेलन एवं शीर्षस्थ हित के विषयों, प्रकाशित पुस्तकों एवं मोनोग्राम आदि पर शैक्षाणिक कार्यशालाओं का आयोजन करके वृद्धि करना है । यह केंद्र सिक्किम राज्य एवं इसके पड़ोसी क्षेत्र में मुख्यत: पूर्वोत्तर पर सभी विद्याओं में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा । एम ए के ए इाइ्र ए एस विश्वविद्यालय द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के अनुसार एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होने पर केंद्र की लेनदेन के लिए एक अलग से लेखाओं का अनुरक्षण किया जाएगा । डा0 मनीष एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग इसके समन्वयकर्ता नियुक्त किए गए हैं ।

कार्यवृत्त

समिति ने केंद्र की स्थापना को नोट किया गया ।

एफ सी: 12:05	सितम्बर 2014 को समाप्त तिमाही हेतु अनुदानों के उपभोग पर रिपोर्ट

कार्यसूची

यू जी सी के दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 के पत्र संख्या एफ 1-1/2012 (सी यू) के अनुसार इसे प्रस्तुत किया गया उपभोग प्रमाण पत्र के वित्त समिति की आगामी बैठक में इनके सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाना है । तदनुसार, सितम्बर 2014 को समाप्त तिमाही हेतु विवरणी सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत की गई ।

विश्वविद्यालय ने सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत 12वीं योजना आवंटन (11वीं योजना में प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए रू0 5 करोड़ सहित) में से रू0 96.73 करोड़ प्राप्त किया है, तथा दिनांक 30.09.2014 तक रू0 87.76 करोड़ का उपभोग किया है । रू0 6.18 करोड़ के ब्याज सहित अव्ययित शेष रू0 15.15 करोड़ है । यू जी सी से अनुदान की अगली किश्त को तत्काल जारी करने का अनुरोध किया गया है ।

कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदानों के उपभोग की प्रगति समिति द्वारा नोट की गई ।

एफ सी: 12:06	वार्षिक लेखाएं 2013-14

कार्यसूची

विश्वविद्यालय की वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक लेखाएं पटल पर रखी गई है । सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इन लेखाओं की लेखा परीक्षा का संचालन 08.07.2014 से 09.08.2014 के बीच किया गया था । यह रिपोर्ट की गई कि भारत के सी एवं ए जी से एस ए आर, जिसे ए.जी (लेखा परीक्षा) सिक्किम के कार्यालय से दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए, अभी भी अपेक्षित है । अंतिम एस ए आर अब किसी भी दिन जारी कर दिए जाने की आशा है, तत्पश्चात इसे सदस्यों में परिचालित कर दिया जाएगा ।

सदस्यों को यह भी सूचना दी गई कि कार्यकारी परिषद की बैठक दिनांक 15 नवंबर 2014 को आयोजित किया जाना तय किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखापरीक्षाकृत लेखाओं एवं वार्षिक रिपोर्ट को एम एच आर डी के प्रति निर्धारित तारीख (01 दिसम्बर 2014) तक प्रेषित किए जाने के पूर्व, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

वार्षिक लेखाओं 2013-14 को एक संक्षिप्त विवरण स्पष्टकारी ज्ञापनों सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

समिति ने वार्षिक लेखाओं 2013-14 का अनुमोदन किया तथा निर्देश दिया कि अंतिम एस ए आर सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सदस्यों में परिचालित किया जाए ।

एफ सी: 12:07	संशोधित प्राक्कलन 2014-15 एवं बजट प्राक्कलन 2015-16

कार्यसूची

सिक्किम विश्वविद्यालय हेतु 12वीं योजना के सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत रु0 300 करोड़ के आवंटन का अनुमोदन किया गया है। इस राशि में यांगगांग में कैंपस निर्माण हेतु वांछित निधि सम्मिलित नहीं है, जिसके लिए रु0 785 करोड़ के अनंतिम आवंटन का प्रक्षेपण यूजीसी के प्रति वित्त समिति के अनुमोदन से किया गया है।

यूजीसी ने 12वीं योजना आवंटन में रु0 9172.50 लाख जारी किया है, जिसमें से रु0 8775.97 दिनांक 30.09.2014 तक उपयोग (95.68%) किया जा चुका है। समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 03 नवंबर 2014 को रु0 10 करोड़ का एक अगला अनुदान प्राप्त हुआ है। न्यूनतम वांछनीयता के आधार पर वर्ष 2014-15 हेतु संशोधित प्राक्कलन (रु0 48.72करोड़) एवं वर्ष 2015-16 हेतु बजट प्राक्कलन (रु0 69.74 करोड़) परिकलित किया गया है।

शीर्ष-वार विस्तृत प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवृत्त

समिति ने संशोधित प्राक्कलन 2014-15 एवं बजट प्राक्कलन 2015-16 का अनुमोदन किया ।

एफ सी: 12:08	वित्त समिति की बैठकों के लिए विनियमावली

कार्यसूची

एस यू अधिनियम 2007 की सांविधि 47 के साथ पठित धारा 31 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति की बैठकों के संचालन के लिए नियमावली का पाठ तैयार किया गया है । यह शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद की बैठकों के लिए नियमावली के समरूप है, जिनका अनुमोदन किया जा चुका है । विनियमावली की एक प्रति समिति के विचारार्थ एवम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

कार्यवृत्त
समिति द्वारा विनियमावली का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात सदस्यों ने कार्यसूची के मद को वापस लेने का निर्णय लिया ।

एफ सी: 12:09	वर्ष 2013-14 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कार्यसूची

मेसर्स सुशील दास एवं एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट को वर्ष 2013- 14 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था । विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी का पद अभी भी भरा जाना अपेक्षित है । आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन फर्म द्वारा समवर्ती तरीके से किया गया था। फर्म ने विश्वविद्यालय को आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 26 मई 2014 को प्रस्तुत की है । रिपोर्ट की एक प्रति समिति के विचार अर्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई थी।

कार्यवृत्त
समिति ने वर्ष 2013-14 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुमोदन किया ।

एफ सी: 12:10	अंतर शास्त्रीय अनुसंधान के प्रति निधि

कार्यसूची

युवा संकाय सदस्यों को साधारणत: पूर्वी हिमालय एवं विशेषकर सिक्किम पर उच्च मूल्य एवं सामाजिक रुप से संगत अंतरशास्त्रीय अनुसंधान कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय को "सिक्किम विश्वविद्यालय अनुसंधान समर्थन निधि" नाम से एक समूह निधि के निर्माण की सलाह दी । इस निधि का निर्माण कई बाह्य निधि प्रदत्त परियोजनाओं से बंधा प्रभारों एवं इस पर ब्याज के संकलन में से किया गया था, जो कि रू0 17.18 लाख की राशि की है । निधि की निरंतरता बनी रहेगी तथा इसके निवेश से सृजित ब्याज की राशि मात्रा का उपभोग किया जाएगा । विश्वविद्यालय की डीन की समिति ने समूह निधि के उचित उपभोग हेतु मार्गदर्शन तैयार किया है तथा सलाह दी है कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्तियोग सभी भविष्य के बंधा अनुदानों कि इस निधि में अंतरित किया जाए । दिनांक 31-7-2014 की अपनी बैठक में समिति ने आगे प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष अपने आंतरिक रुप से सृजित

संसाधनों से समूह निधि को अभिवर्धित करके रू0 10 लाख स्थानांतरित करने पर विचार करें । निधि से लाभों का उपभोग वित्त समिति को अलग से प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखाओं के साथ-साथ रिपोर्ट किया जाएगा ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सृजित ब्याज विश्वविद्यालय के युवा संकाय सदस्यों द्वारा अच्छे अंतरशास्त्रीय अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है, प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

समिति ने विश्वविद्यालय की इन पहलों की प्रशंसा की एवं निर्देश दिया कि इस विषय को यू जी सी के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाए ।

एफ सी: 12:11	**सिक्किम में पदस्थापित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रति किराया रहित असज्जित आवास के बदले में आतिरिक्त एच आर ए ।**

कार्यसूची

गंगटोक में किराए के लिए लगाए जाने वाले निजी मकानों का किराया असामान्य रूप से अधिक है । चूंकी विश्वविद्यालय में आवासीय ढांचागत संरचनाओं का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है अतः कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सामान्य एचआरए की तुलना में कहीं अधिक किराया भुगतान करना वांछनीय है । यह विषय विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के लिए चिंतनीय है, क्योंकि इससे संभावित शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों का विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने में रुकावट पाया गया है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद द्वारा ऐसे कर्मचारियों को किराया समर्थन के रुप में निश्चित राशि का भुगतान उस समय तक करने का निर्देश दिया गया था, जब तक कि यह अपने केंपस में स्थानांतरित नहीं होता है, जहां पूर्णरुपेण आवासीय सुविधा उपलब्ध हो।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने अपने दिनांक 4 मई 1998 के आदेश में सिक्किम में पदस्थापित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को किराया रहित असज्जित आवास अथवा मूल वेतन के 7½ % की दर से इसके बदले में एचआरए का लाभ विस्तारित किया है । यह निर्णय संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी के राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के परामर्श के साथ लिया गया था । यह निर्णय वित्त मंत्रालय के बाद के दिनांक 7 फरवरी 2005 एवं 21 फरवरी 2014 के आदेशों पुर्नउद्धृत हुआ है। तदनुसार, महालेखाकार सिक्किम के कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किराया रहित असज्जित आवास उपलब्ध करवाया गया है ।

महालेखाकार के कार्यालय के साथ हाल के पत्राचार में यह मुद्दा विचार विमर्श हेतु लाया गया । बाद में उपकुलपति द्वारा एक समिति गठित की गई, जिसमें श्री सोनम बांगडी, कार्यकारी परिषद एवं वित्त समिति के सदस्य की अध्यक्षता में महालेखाकार, सिक्किम एवं विश्वविद्यालय के सलाहकार (वित्त) सदस्यगण थे उसका कार्य इस विषय के सभी पहलुओं का अध्ययन करना था । दिनांक 26 सितंबर 2014 को समिति द्वारा की गई अनुशंसाएं निम्नलिखित थी :

1. सिक्किम विश्वविद्यालय के वे कर्मचारीगण, जिनका वेतन एवं भत्ता केंद्रीय सरकार नियमावली से शासित होता है ,किराया रहित असज्जित आवास अथवा इसके बदले में वेतन के 7½ % की दर पर एच आर ए के लिए अधिकृत है ।चूंकी विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कोई आवासीय संरचनाएं निर्मित नहीं की गई है अतः कर्मचारियों को इस लाभ के अंतर्गत व्याप्त होना चाहिए।

2. चूंकि ये भत्ता मकान किराए पर व्यय खर्च किए जाने की शर्त पर है, अतः इस लाभ के उपभोग का दावा करने वाले कर्मचारियों को उचित किराया रसीद अथवा मकान किराया अनुबंध के साथ समर्थित अपनी किरायाजन्य देयता के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस दावे की स्वीकार्यता सीमा के अंतर्गत एक कार्यकारी आदेश द्वारा 10% के सामान्य एच आर ए के अतिरिक्त वेतन के अधिकतम 7½ % की शर्त पर स्वीकार किया जाएगा
3. इन आदेशों को, कार्यकारी परिषद द्वारा इन आदेशों को अंगीकृत किए जाने की तारीख के अनुसरण में अग्रगामी बनाया जाएगा ।
4. अभी कुछ कर्मचारियों को दी जा रही किराया आर्थिक सहायता, इस आर्थिक सहायता के उपभोग करने की तारीख अथवा वर्तमान करार की परिसमाप्ति जो भी पूर्ववर्ती हो, से वापस ले ली जाएगी ।
5. कर्मचारियों से वसूल किए जा रहे लाइसेंस शुल्क की निरंतरता कार्यकारी परिषद द्वारा अंगीकृत किए जाने की तारीख से आरंभ होकर समाप्त कर दी जाएगी ।

कार्यवृत्त

इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रुप से स्वीकार किया गया । विश्वविद्यालय में भारत सरकार के वर्तमान आदेश के विस्तार का परीक्षण एम एच आर डी ए द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय पहल करेगा। ऐसे समय तक वर्तमान उपबंध लागू रहेंगे ।

समिति ने वर्ष 2013-14 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुमोदन किया ।

एफ सी: 12:12	**वाहनों का क्रय**

कार्यसूची

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा उप कुलपति के कार्यालयी उपयोग के लिए एक वाहन की खरीद अक्टूबर 2007 में की गई थी । बाद में यूजीसी पत्र संख्या एफ 24-36/2009(सी यू) दिनांक 17 मार्च 2009 के अनुसार सभी नए विश्वविद्यालयों को उपकुलपति, रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी के कार्यालयी उपयोग हेतु 3 वाहनों की खरीद की अनुमति प्रदान की गई थी । यद्यपि उस समय अत्यल्प गतिविधि के कारण विश्वविद्यालय में 2 वाहनों की खरीद को विलंबित किया । अभी परिस्थिति बदल गई है , क्योंकि विश्वविद्यालय 15 किलोमीटर के अंतराल में 21 किराए के भवनों में बिखरा हुआ है । यांग्यांग स्थित कैंपस स्थल पर नियमित भ्रमण की भी आवश्यकता है । सिक्किम में निजी वाहनों को किराए पर लेना भी असामान्य रूप से खर्चीला है । किराए के लिए व्यवसायिक लाइसेंस वाहनों को पाना भी यहां बहुत कठिन है । लागत हितकारी विश्लेषण से भी ज्ञात होता है कि गंगटोक में गाड़ी किराए पर लेने की अपेक्षा स्वयं की गाड़ी रखना श्रेयस्कर होगा। कार्यात्मक प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि विश्वविद्यालय दो वाहनों का क्रय करें, जिसके लिए एक बार की व्यवस्था के रूप में अनुमति वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पहले से ही उपलब्ध है ।

कार्यवृत्त

सदस्यगण विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए औचित्य से सहमत थे । यद्यपि, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29-10-2014 के अद्यतन आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय को इस विषय में अभिलंब निर्णय लेने के लिए मामलों को एमएचआरडी के साथ यूजीसी के माध्यम से सभी पूर्ववर्ती संदर्भों के साथ उठाने को कहा गया था ।

एफ सी: 12:13	स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस सुविधाएं

कार्यसूची

विश्व विद्यालय के लिए इनके स्वास्थ्य केंद्र पर एक एंबुलेंस की गहन आवश्यकता है, क्योंकि गंगटोक के निर्जन स्थलों में अवस्थित विभिन्न छात्रावासों में छात्रों को विषम स्थितियों में आपातकालीक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है तथा इन्हें प्रायः अस्पतालों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है । गंगटोक में निजी एंबुलेंस व्यवस्था उपलब्ध नहीं है । अतः उन आपात स्थितियों, जबकि तत्काल हॉस्पिटलाइजेशन की मांग होती है से निपटने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । एक एंबुलेंस सेवा की जरूरत मरीजों को अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए तब भी पड़ेगी, जबकि विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में स्थानांतरित होती है ।

कार्यवृत्त

इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया । विश्वविद्यालय प्रशासनिक अनुमोदन हेतु यू जी सी से पत्राचार करे ।

एफ सी: 12:14	यांग्यांग स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय कैंपस

कार्यसूची

सिक्किम विश्वविद्यालय का कैंपस यांग्यांग, गंगटोक से 56 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में निर्मित किया जा रहा है, जो कि करीब 300 एकड़ माप का पहाड़ी भूमि है । भूमि का अधिकांश भाग करीब (18 प्रतिशत) सिक्किम सरकार द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, तथा शेष भूमि के शीघ्र निकासी की आशा की जा रही है ।भूमि के एक छोटे क्षेत्र पर भागीदारी का मुद्दा अभी तक पूर्ण रुपेण नहीं निपटाया जा सका है । विश्वविद्यालय ने लगभग 6 किलोमीटर की परिधि में रिटेनिंग वाल सहित बाउंड्री वाल के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है। इस कार्य को राज्य पी डब्ल्यू डी को रुपए 12.48 करोड़ के अनुमानित मूल्य पर अमानतदार कार्य के रूप में सौंपा गया है। कार्य का 35% निर्माण पूरा कर लिया गया है ।

विश्वविद्यालय में भवन निर्माण परियोजनाओं में आर्किटेक्चरल सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रतिष्ठित फर्म के चयन को भी अंतिम रुप दिया है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के निर्माण कार्य को तत्काल आरंभ किया जाएगा ।

यूजीसी के मार्गदर्शन के अनुसार गठित भवन समिति की नियमित बैठकें होती है । दिनांक 18-02-2014 एवं 01-11-2014 की इन बैठकों में की गई अनुशंसाओं को वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई थी।

कार्यवृत्त

सदस्यों ने सिक्किम विश्वविद्यालय कैंपस के भवन निर्माण से संबंधित गतिविधियों को नोट किया तथा कैंपस निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने की इच्छा व्यक्त की ताकि महति किराया देनदारी तथा विश्वविद्यालय द्वारा किराए के भवनों में वर्तमान में सामना की जा रही कठिनाइयों से बचा जा सके।

विचार-विमर्श हेतु अन्य कोई विषय न होने के कारण अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित की गई।

ह0/-
[श्री डी कानुनगो]
सचिव
08.11.2014

ह0/-
[प्रो0 टी बी सुब्बा]
अध्यक्ष
08.11.2014